



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 639 राँची, शुक्रवार, 5 कार्तिक, 1945 (श०)
27 अक्टूबर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

17 अगस्त, 2023

संख्या-3/नि0सं0-09-28/2017 का. 4695--श्री फिलबियुस बारला, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 703/03) के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P.(S)-4757/2021 एवं I.A. No.-7626/2022 में दिनांक 15.03.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में उनसे कनीय श्रीमती पूनम प्रभा पूर्ति, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक 704/03) को विभिन्न कोटियों में प्रदत्त प्रोन्नतियों के भूतलक्षी प्रभाव से वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान करने के अभ्यावेदन को तार्किक आदेश संख्या 3648 दिनांक 26.06.2023 द्वारा अस्वीकृत किया गया है ।

2. W.P.(S) No- 4757/2021 एवं I.A. No.-7626/2022 में दिनांक 15.03.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री फिलबियुस बारला, झा०प्र०से० के विरुद्ध संकल्प संख्या 447(HRMS) दिनांक 05.02.2019 द्वारा अधिरोपित दण्ड को विभागीय संकल्प संख्या 21387(HRMS) दिनांक 31.05.2023 द्वारा विलोपित किया गया ।

3. आरोप से संबंधित एक अन्य मामले में विभागीय संकल्प संख्या 6756 दिनांक 05.08.2016 के द्वारा श्री बारला के विरुद्ध निन्दन एवं एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया था ।

4. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री बारला के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में WP(S)No. 5972/2016 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 16.06.2017 को पारित न्यायादेश में दण्ड को निरस्त कर दिया गया। उक्त न्यायादेश के विरुद्ध LPA संख्या 622/2017 दायर किया गया एवं LPA में दिनांक 23.08.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री बारला पर अधिरोपित दण्ड को निरस्त करते हुए इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री बारला से प्राप्त कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं० 2887(HRMS) दिनांक 14.12.2018 के द्वारा निन्दन एवं एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

विभागीय परिपत्र संख्या 4709 दिनांक 13.08.2008 के अनुसार निन्दन के दण्ड का प्रभाव दिनांक 13.12.2019 तक एवं एक वेतनवृद्धि रोक के दण्ड का प्रभाव दिनांक 30.06.2020 तक था ।

5. विभागीय संकल्प संख्या 447(HRMS) दिनांक 05.02.2019 द्वारा श्री बारला पर अधिरोपित दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड का प्रभाव दिनांक 30.06.2021 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 09.01.2023 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा की गई। उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 675 दिनांक 02.02.2023 द्वारा श्री बारला को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-III 15,600-39,100-ग्रेड-पे 7600/पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान की गई ।

6. उपर्युक्त प्रदत्त प्रोन्नति को WP(S)No.- 4757/2021 एवं I.A. No.-7626/2022 में दिनांक 15.03.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री फिलबियुस बारला, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 703/03), अ०ज०जा० कोटि को उनसे कनीय श्री अलबर्ट बिलुंग, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 783/03) अ०ज०जा० कोटि को विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 25.09.2020 की बैठक की अनुशंसा के आलोक में श्री बिलुंग को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में अधिसूचना सं० 6090 दिनांक 28.09.2021 के द्वारा प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि 28.09.2021 के भूतलक्षी प्रभाव से

अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-III 15,600-39,100-ग्रेड-पे 7600/पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-12) में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

7. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

8. यह प्रोन्नति याचिका संख्या W.P(S)No.3795/2003 डॉ० प्रवीण शंकर एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, W.P(S)No.3792/2016 अमरेन्द्र सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।
